


भाग - 3

14	स्थल जहाँ वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16	प्रस्ताव के स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है,

तिथि :16-6-2017

स्थान : श्रीजापुर


मुख्य वन संरक्षक
हस्ताक्षर श्रीजापुर क्षेत्र
श्रीजापुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक- 1707/मीरजापुर/ 33 दिनांक, मीरजापुर, अक्टूबर 11, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय: जनपद मीरजापुर में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 132केवी जिगना दादरकला पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 6.5475 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का File No-8B/UP/05/50/2017/FC/76 Date: 14.08.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 1542/मीरजापुर/33 दिनांक 03.10.2017 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित आपत्तियों के निस्तारण आख्या के सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा इंगित कमियां, जो कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड मीरजापुर ने अपने कार्यालय पत्रांक 1142/वि०प्र०ख०(मी०) दिनांक 05.10.2017 द्वारा अवगत कराया गया है, के अनुक्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर ने अपने पत्र संख्या 1502/मीरजापुर/15 दिनांक 11.10.2017 द्वारा विषयक प्रस्ताव में उठाई गयी कमियों का निवारण कर परीक्षणोपरांत इस कार्यालय में निर्धारित प्रारूप(टेबुलर फॉर्म) में निम्न प्रकार प्रेषित किया है—

क्र०सं०	आपत्तियों का विवरण	कार्यवाही
1.	ऑनलाइन पोर्टल पर पार्ट-II के अंतर्गत क्रम संख्या 13(i) पर Total Financial Outlay for CA (lacs): 17.35734 लिखा हुआ है जबकि रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार उक्त धनराशि रुपया 18.39746 अंकित होना चाहिए।	रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार उक्त धनराशि रुपया 18.39746 अंकित कर दिया गया है।
2.	ऑनलाइन पोर्टल पर पार्ट -II के अंतर्गत क्रम संख्या 13(ii) पर क्षतिपूरक वनीकरण का पुराना प्राक्कलन सलंगन है।	इसकी जगह पर रिवाइज्ड प्राक्कलन सलंगन कर दिया गया है।
3.	ऑनलाइन पोर्टल पर पार्ट -II के अंतर्गत additional information details के क्रम संख्या 10 पर पुराना पावर ऑफ अटॉर्नी सलंगन है।	रिवाइज्ड पावर ऑफ अटॉर्नी सलंगन कर दिया गया है।
4.	ऑनलाइन पोर्टल पर पार्ट -II के अंतर्गत additional information details के क्रम संख्या 24 पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन सलंगन है।	इस प्राक्कलन को हटा दिया गया है तथा चूंकि 13(ii) पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन सलंगन है, अतः इस जगह पर पुनः प्राक्कलन सलंगन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

5. ऑनलाइन पोर्टल पर पार्ट -II के अंतर्गत क्रम संख्या 16 पर CF का recommendation का प्रपत्र भाग -iii की जगह पर CF का नोडल को लिखा हुआ पत्र सलंगन है।	CF द्वारा दिए गए specific recommendation प्रोफोर्मा पार्ट-iii सलंगन कर दिया गया है।
---	---

अनिल
4

(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या - _____ अ/ समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या 1502 / मीरजापुर / 15 दिनांक 11.10.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर